भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4377

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2026

एमएसएमई को अमेरिकी टैरिफ से होने वाले लाभ

4377. श्रीमती भारती पारधी :
श्री नरेश गणपत म्हस्के :
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के प्रमुख उपबंध क्या हैं और इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और उनमें प्रवेश करने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) उन तंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से इस समझौते के अंतर्गत एमएसएमई निर्यातकों को व्यापार सुविधा, प्रशुल्क रियायतें, मानकों में सामंजस्य और बाजार पहुंच सहायता प्रदान की जाएगी;

(ग) सरकार द्वारा विस्तारित व्यापार अवसरों से लाभ उठाने के लिए अमरीकी विनियामक, गुणवत्ता और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में एमएसएमई की सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशी निविदाओं और आपूर्ति नेटवर्क में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और प्रमाणन निकायों के साथ क्या समन्वय है; और

(ङ) क्या इस अंतरिम व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संभावित निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ का अनुमान लगाने के लिए कोई प्रभाव आकलन किया गया है या शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : भारत और अमेरिका (यू.एस.) ने दिनांक 2 फरवरी, 2026 को व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। इस संबंध में दिनांक 7 फरवरी, 2026 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। इस करार में टैरिफ का व्यापक यौक्तिकरण, बड़ी उत्पाद श्रेणियों में शून्य-शुल्क तक पहुंच, डिजिटल और प्रौद्योगिकी सहयोग में संवर्धन, और भारत के किसानों, एमएसएमई और घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया कार्य ढांचा शामिल है। दिनांक 7 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा भारत के विशिष्ट निर्यात पर लगाए गए 25% के अतिरिक्त मूल्य वर्धित टैरिफ हटा दिए गए थे। पारस्परिक टैरिफ को अवैधसिद्ध करते हुए दिनांक 20 फरवरी 2026 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पारस्परिक टैरिफ अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। सरकार इसके बाद होने वाले सभी घटनाक्रमों और उनके निहितार्थ का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

अंतरिम समझौते के निष्कर्ष के अध्याधीन, अमेरिका भारतीय वस्तुओं, जिनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, कार्बनिक रसायन, गृह सज्जा, कारीगरों के उत्पाद, कुछ मशीनरी आदि शामिल हैं, को प्राथमिकता के साथ बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते से संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हुए बाजार तक पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, चमड़े और हस्तशिल्प में एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दुग्ध, कृषि, किसान और घरेलू उद्योग जैसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है। अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित वेब लिंक link: https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf. पर भी उपलब्ध है।

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने और निर्यात में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की है:

I. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): - यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए निर्यात प्रोत्साहन के लिए 25,060 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक समग्र, लचीला और डिजिटल फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित करता है जो कई अलग-अलग स्कीमों से एक एकल स्कीम, परिणाम-आधारित और ऐसे अनुकूलन तंत्र के साथ रूप-परिवर्तन को दर्शाता है जो विश्व स्तर पर व्यापार संबंधी चुनौतियों के प्रति और निर्यातकों के समक्ष उभरकर आने वाली आवश्यकताओं के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है।

मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से कार्य करेगा:

i. निर्यात प्रोत्साहन - यह ब्याज सब्वेंशन, निर्यात फैक्टरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए क्रेडिट संवर्धन संबंधी सहायता जैसे कई उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए वहनीय व्यापार निधियन तक पहुंच में सुधार पर फोकस करता है।

ii. निर्यात दिशा – यह ऐसे गैर-वित्तीय सहायता प्रदाताओं पर फोकस करता है जो बाजार की तत्परता (रेडिनेस) और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात वेयरहाउंसिंग और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार सूचना और क्षमता-निर्माण संबंधी पहलें शामिल हैं।

मिशन को ऐसी संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारतीय निर्यात को बाधित करते हैं, जिसमें सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत, अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच, और आंतरिक और कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक नुकसानी शामिल हैं।

II. इसके अलावा, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इस स्कीम से भारतीय निर्यातकों की विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता में वर्धन और नए और उभरते बाजारों के विविधीकरण में सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है। कोलेटरल-मुक्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने से लिक्विडिटी सुदृढ़ होगी और सुचारू व्यावसायिक संचालन भी सुनिश्चित होगा।

III. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/ सेमिनारों/विदेश में क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर और निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करके एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना है।

IV. हाल ही में, सरकार द्वारा किए गए जीएसटी के व्यापक युक्तिकरण से एमएसएमई को प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। जीएसटी की कम दरों के कारण कच्चा माल और सेवाएं ज्यादा वहनीय हो सकी हैं, जिससे लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को अपने कार्यकलापों को आगे बढ़ाने, नवोन्मेष संबंधी कार्यों में निवेश करने तथा घरेलू और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

V. सरकार का उद्देश्य निर्यात विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है और इसने कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ सोलह (16) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और छह (06) तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग कर सकें और ईएफटीए देशों, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें।
